

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए
(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूपरेखा पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय					
ए सामान्य आँकड़ा					
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल			79714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या				
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार		2.69 करोड़	
	(बी)	2010-11		3.30 करोड़	
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति कि.मी.)		338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ¹ (आखिल भारतीय अनुपात 21.92 प्रतिशत)			40.4 प्रतिशत	
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)		44 प्रतिशत	
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 74.04 प्रतिशत)		67.63 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ² (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)			42	
7	गिनी गुणांक ³				
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)		0.24	
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)		0.36	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2013-14			₹ 172773 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	10.93 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	14.88 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	12.52 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	15.49 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)		झारखण्ड	13.69 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	12.94 प्रतिशत	
ब. वित्तीय आँकड़ा ⁴					
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)		
	सी.ए.जी.आर.		2004-05 से 2012-13		2004-05 से 2013-14
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	17.84	18.58
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	16.42	16.75	18.83
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	12.49	16.35	14.54
4.	डी.	कुल व्यय का	15.37	15.54	17.78
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	17.01	15.49	19.14
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	15.97	15.91
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	9.58	17.90
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	@	@
9.	आई.	पेंशन का	18.34	21.43	22.52

¹ तेन्दुलकर प्रक्रिया विज्ञान द्वारा योजना आयोग बी.पी.एल. 2011-12 का प्रेस नोट जुलाई 2013

² एस.आर.एस. बुलेटिन सितम्बर 2013

³ वर्ष 2009-10 के योजना आयोग के आँकड़े

⁴ वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित

गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा का अनौपचारिक आकलन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.), गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आंका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

@ वर्ष 2003-04 के लिए वेतन एवं भत्ते के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग-बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिक निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, टूजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिक निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती हैं जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती हैं। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं।
विवरणी सं.2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं.3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं.4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं.5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं.6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष हैं और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं.7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं.8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के ग्रुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष 2013-14 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2013-14 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2014 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्पलावकता को-एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रुझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	100621	127281	135618	151655	172773
स.रा.घ.उ. की विकास दर	14.6	26.5	6.6	11.8	13.9

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, शीर्ष 2048 के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्तियाँ घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्तियाँ

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 13 एवं 42)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	15118(82)	18781(88)	22420(89)	24770(83)	26137(85)
(i) कर राजस्व	4500(30)	5717(30)	6954(31)	8224(33)	9380(36)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3597(80)	4473(78)	5522(79)	6422(78)	7305(78)
राजस्व उत्पाद	323(7)	388(7)	457(7)	578(7)	628(7)
वाहनों पर कर	234(5)	312(6)	392(6)	465(6)	495(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	238(5)	328(6)	401(6)	492(6)	502(5)
भू-राजस्व	41(1)	131(2)	53(1)	96(1)	230(3)
माल एवं यात्रियों पर कर	13	21	41(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	54(2)	64(1)	88(1)	170(2)	219(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2254(15)	2803(15)	3038(14)	3536(14)	3753(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	5547(37)	6154(33)	7170(32)	8188(33)	8939(34)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2817(18)	4107(22)	5258(23)	4822(20)	4065(16)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22	24	24	43	23
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	15140	18805	22444	24813	26160
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3369(18)	2447(12)	2671(11)	5199(17)	4703(15)
आंतरिक ऋण(अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	3379	2315	2409	4591	4281
अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	229	369	316
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	-10	132	33	239	106
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	18509	21252	25115	30012	30863
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	8242	7721	10813	14495	14275
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	26751	28973	35928	44507	45138
भाग-ख व्यय/ सवितरण					
10. राजस्व व्यय	15128(83)	17945(86)	20992(86)	23400(83)	23472(83)
योजना	3758(25)	6004(33)	7646(36)	7743(33)	6288(27)
गैर योजना	11370(75)	11941(67)	13346(64)	15657(67)	17184(73)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6605(44)	6991(39)	7846(37)	8696(37)	9960(42)
सामाजिक सेवाएँ	5610(37)	6707(37)	7287(35)	8309(36)	8215(35)
आर्थिक सेवाएँ	2913(19)	4247(24)	5859(28)	6395(27)	5297(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	-	-	-	शून्य	शून्य

11. पूँजीगत व्यय	2703(15)	2664(13)	3159(13)	4218(15)	4722(17)
योजना	2682(99)	2621(98)	3111(98)	4151(98)	4706(100)
गैर योजना	21(1)	43(2)	48(2)	67(2)	16(0)
सामान्य सेवाएँ	112(4)	120(4)	156(5)	176(4)	168(3)
सामाजिक सेवाएँ	825(31)	682(26)	866(27)	1030(25)	924(20)
आर्थिक सेवाएँ	1766(65)	1862(70)	2137(68)	3012(71)	3630(77)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	320(2)	308(1)	217(1)	601(2)	222(1)
13. कुल (10+11+12)	18151	20917	24368	28219	28416
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1190	1299	1639	2183	1997
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1068(90)	1063(82)	1406(86)	1525(70)	1542(77)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	78(5)	520(24)	316(16)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	123(10)	236(18)	155(9)	138(6)	139(7)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	19341	22216	26007	30402	30413
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7290	7400	9728	13417	14094
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	26631	29616	35735	43819	44507
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(-)10	(+)836	(+)1428	(+)1370	(+)2665
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)3011	(-)2112	(-)1924	(-)3406	(-)2256
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	(-)704	(+) 116	(+)343	(-)1015	(+)358
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान(राजस्व व्यय में सन्निहित)	2307	2228	2267	2391	2614
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2333	3122	4530	6950	6422
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	6	13	8
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	6	13	8
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	0.03	0.32	0.21
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	100621	127281	135618	151655	172773
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	27165	28655	30664	34869	37594
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	500	-	-	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	262	167	182	189	328
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1466	1503	573	1972	760

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.5	4.5	5.1	5.4	5.4
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.3	8.1	9.2	8.6	7.5
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	18.0	16.4	18.0	18.6	16.4
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	120.1	111.4	108.7	113.9	108.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.3	85.8	86.1	82.9	82.6
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.8	35.4	33.5	33.2	32.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	27.2	30.6	33.6	35.3	32.1
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.9	12.7	13.0	14.9	16.6
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.3	12.2	12.3	14.3	16.0
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	0.0	0.7	1.1	0.9	1.5
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-3.0	-1.7	-1.4	-2.2	-1.3
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.7	0.1	0.3	-0.7	0.2
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.3	-39.6	-74.2	-40.2	-118.1
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ.	2.3	2.4	2.7	2.5	3.1
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	27.0	22.5	22.6	23.0	21.8
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	179.7	152.6	136.8	140.8	143.8
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)647	(+)5145	(+)30	(+)1388	(+)2698
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	3.1	4.3	3.9	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	0.4	1.17	15.00	18.00
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2077	4014	6855	5782	6208
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	85	89	95	98	100

@ स.रा.घ.उ. के आँकड़े, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट से प्राप्त।

कोष्ठक में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार								
प्राप्तियाँ				संवितरण				
2012-13		2013-14	2012-13		गैर योजना	योजना	कुल	2013-14
अनुभाग क: राजस्व								
24769.56	I राजस्व प्राप्तियाँ	26136.80	23399.87	I राजस्व व्यय	17184.41	6287.48	23471.89	23471.89
8223.67	कर राजस्व	9379.79	8696.49	सामान्य सेवाएँ	9691.69	267.67	9959.36	
			8308.59	सामाजिक सेवाएँ	4299.54	3915.80	8215.34	
3535.63	कर भिन्न राजस्व	3752.71	4411.28	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2876.19	1045.97	3922.16	
			808.74	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	604.47	372.63	977.10	
8188.05	संघीय करों में राज्य के हिस्से	8939.32	642.06	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	300.97	409.43	710.40	
			46.27	सूचना एवं प्रसारण	40.51	12.61	53.12	
1483.41	गैर योजना अनुदान	1319.91	563.88	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	92.51	532.33	624.84	
2393.94	राज्य योजना हेतु अनुदान	1565.83	150.43	श्रम एवं श्रम कल्याण	45.61	82.13	127.74	
			1668.48	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	318.72	1460.70	1779.42	
944.86	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1179.24	17.45	अन्य	20.56	0.00	20.56	
			6394.79	आर्थिक सेवाएँ	3193.18	2104.01	5297.19	
			992.44	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	418.62	556.40	975.02	
			1768.17	ग्रामीण विकास	610.13	819.44	1429.57	
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
			281.40	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	303.39	0.69	304.08	
			1560.20	ऊर्जा	1502.36	18.41	1520.77	
			220.11	उद्योग एवं खनिज	44.00	142.09	186.09	
			725.86	परिवहन	244.32	7.31	251.63	
				विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
			846.61	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	70.36	559.67	630.03	
				सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
			23399.87	कुल	17184.41	6287.48	23471.89	
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		1369.79	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				2664.91
24769.56	कुल	26136.80	24769.56	कुल				26136.80

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुभाग ख									
116.85	III आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	704.75			III रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			4218.43	IV पूँजीगत परिव्यय	15.81	4706.69	4722.50	4722.50
				175.91	सामान्य सेवाएँ	15.81	152.28	168.09	
				1029.78	सामाजिक सेवाएँ	0.00	924.12	924.12	
				90.76	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		145.21	145.21	
				146.84	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		166.18	166.18	
				487.42	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास		342.07	342.07	
					सूचना एवं प्रसारण		0.00	0.00	
				194.39	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		168.03	168.03	
अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)									
				110.37	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार		102.63	102.63	
					अन्य				
				3012.74	आर्थिक सेवाएँ		3630.29	3630.09	
				16.39	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		15.26	15.26	
				886.85	ग्रामीण विकास		1148.93	1148.93	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00	0.00	
				591.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		454.01	454.01	
					ऊर्जा		0.00	0.00	
				1.00	उद्योग एवं खनिज		2.00	2.00	
				1503.45	परिवहन		1994.65	1994.65	
				13.97	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		15.44	15.44	
				4218.43	कुल	15.81	4706.69	4722.50	
43.11	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	23.32	600.81		V ऋण एवं अग्रिम का सवितरण	29.92	191.99	221.91	
	विद्युत परियोजना से	0.00	541.70		विद्युत परियोजना को	0.00	175.34	175.34	
22.07	सरकारी सेवकों से	22.31	18.74		सरकारी सेवकों को	12.76	0.00	12.76	
21.04	अन्य से	1.01	40.37		अन्य को	17.16	16.65	33.81	
1369.69	VI नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य	2664.91			VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
5199.00	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ	4702.90	2183.06		VII लोक ऋण पुर्नभुगतान			1996.92	1996.92
	बाह्य ऋण	-	-		बाह्य ऋण				

4591.56	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	4281.17		1524.50	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1542.59	
368.79	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	315.58		520.04	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			315.58	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-			ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन				
238.65	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106.15		138.52	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्नभुगतान			138.95	
	VIII आकस्मिक निधि विनियोग				VIII आकस्मिक निधि विनियोग				0.00
	IX आकस्मिक निधि विनियोग				IX आकस्मिक निधि विनियोग				0.00
14494.71	X लोक लेखा प्राप्ति		14275.26	13416.31	X लोक लेखा संवितरण				14094.33
667.69	लघु बचत एवं भविष्य निधि	760.20		645.53	लघु बचत एवं भविष्य निधि			751.47	
279.80	रक्षित निधि	293.18		403.23	रक्षित निधि			21.29	
199.00	उचन्त एवं विविध	-58.77		167.60	उचन्त एवं विविध			-57.13	
4642.57	प्रेषण	6076.81		4784.27	प्रेषण			5920.48	
8705.65	जमा एवं अग्रिम	7203.84		7415.68	जमा एवं अग्रिम			7458.22	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन			100.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन			50.00	50.00
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			704.75	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1285.48	1285.48
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				-56.50	रिजर्व बैंक में जमा			428.20	
				14.68	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			5.44	
					चिन्हित निधि का निवेश				
				746.57	रोकड़ का निवेश			851.84	
45992.92	कुल		48507.94	45992.92	कुल				48507.94

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी
31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
 (संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

31.03.13 को	दायित्व		31.03.14 को
25201.59	आन्तरिक ऋण		27940.16
11775.40	ब्याज वाले बाजार ऋण	14311.11	
0.18	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.00	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3635.54	अन्य संस्थाओं से ऋण	3968.24	
शून्य	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
9784.16	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9654.51	
शून्य	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
2124.55	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2091.95
	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण		
6.38	गैर योजना ऋण	4.09	
2118.17	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2087.86	
150.00	आकस्मिक निधि		150.00
1549.86	लघु बचत भविष्य निधि		1558.59
5673.32	जमा		5411.58
319.67	रक्षित निधि		591.56
शून्य	अंतरण शेष	0.00	
109.87	उचंत एवं विविध शेष		117.72
	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		2153.09
35128.85	कुल		40014.65
	सम्पत्ति		
25749.35	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		30471.85
107.11	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	140.35	
25642.24	अन्य पूँजीगत परिव्यय	30331.50	
100.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन		50.00
7747.85	ऋण एवं अग्रिम		7946.44
7125.21	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	7300.55	
631.50	अन्य विकास ऋण	664.29	
(-)8.86	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-18.40	
12.72	अग्रिम		5.35
	उचंत एवं विविध शेष		
704.75	नगद		1285.48
शून्य	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0.00	
(-)56.50	रिजर्व बैंक में जमा	428.20	
शून्य	जमा निधि का निवेश	0.00	

14.68	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	5.44	
746.57	नगद शेष निवेश	851.84	
411.86	प्रेषण शेष		255.53
402.32	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
1369.69	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
1772.01	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
35128.85	कुल		40014.65

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग बी** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरित रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या हास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं हैं। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 68.34 करोड़ (निवल विकलन) के अंतर का समायोजन कर लिया गया है एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2014)

परिशिष्ट 1.5

तेरहवें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे
(संदर्भ कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
19 वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-38	13वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	24.28	16.78	7.5
	2406-01-796-38	13वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	23.84	13.60	10.24
	उप योग		48.12	30.38	17.74
22 गृह विभाग	2055-00-796-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	11.00	11.00	शून्य
	2055-00-800-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	63.50	63.50	शून्य
	उप योग		74.50	74.50	शून्य
26 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-43	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 20 आई.आई.टी. का निर्माण	34.50	25.30	9.20
	2230-03-796-43	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 20 आई.आई.टी. के लिए भवनो का निर्माण	18.25	18.25	शून्य
	उप योग		52.75	43.55	9.20
27 विधि विभाग	2014-00-105-04	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जिला न्यायधीश की सहायता हेतु न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति	1.58	1.06	0.52
	2014-00-105-05	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रातः/सांयकालीन न्यायालय का गठन	0.32	0.07	0.25
	2014-00-105-06	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत धरोहर न्यायालय भवन	2.97	शून्य	2.97
	2014-00-114-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचो का प्रशिक्षण	5.97	शून्य	5.97
	2014-00-114-09	न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	5.97	5.94	0.03
	2014-00-114-10	न्यायिक अकादमियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	2.64	शून्य	2.64
	2014-00-114-11	वृहत लोक अदालत एवं विधिक सहायता	1.98	शून्य	1.98
	उप योग		21.43	7.07	14.36
35 योजना एवं विकास विभाग	3454-02-205-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिशों के प्रकाश में राज्य के सांख्यिकी तंत्र के लिए अनुदान	4.80	शून्य	4.80
	उप योग		4.80	शून्य	4.80

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन विकास	2.00	शून्य	2.00
	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन विकास का सुदृढीकरण	0.50	शून्य	0.50
	2245-80-796-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.50	शून्य	2.50
	उप योग		5.00	शून्य	5.00
42 ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-21	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर भवनों का निर्माण	30.37	25.63	4.74
	4515-00-796-21	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर भवनों का निर्माण	37.12	37.12	शून्य
	उप योग		67.49	62.75	4.74
45 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-001-61	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विशिष्ट पहचान पत्र के अंतर्गत बी.पी.एल के पंजीकरण की सुविधा	57.91	57.90	0.01
	उप योग		57.91	57.90	0.01
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-191-29	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर निगम को अनुदान	14.21	7.58	6.63
	2217-80-191-30	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान्य निष्पादन के अन्तर्गत नगर निगम को अनुदान	12.00	शून्य	12.00
	2217-80-191-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	2.00	शून्य	2.00
	2217-80-192-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद को सामान्य आधारभूत अनुदान के लिए अनुदान	27.00	3.79	23.21
	2217-80-192-09	नगर परिषद को अनुदान	18.00	15.00	3.00
	2217-80-192-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद/नगरपालिका को विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	3.00	शून्य	3.00
	2217-80-192-53	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर परिषद/नगरपालिका को विशिष्ट क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	3.00	शून्य	3.00

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-193-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान	22.43	17.34	5.09
	2217-80-193-09	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान	13.48	1.74	11.74
	2217-80-193-52	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	2.37	1.98	0.39
	2217-80-193-53	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	2.37	शून्य	2.37
	उप योग		121.86	47.43	74.45
49 जल संसाधन विभाग	2701-03-001-08	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रमुख सिंचाई योजना के लिए पोषण	24.67	शून्य	24.67
	उप योग		24.67	शून्य	24.67
50 लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-05	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के लिए पोषण	2.33	शून्य	2.33
	उप योग		2.33	शून्य	2.33
51 कल्याण विभाग	2525-02-796-13	पी.टी.सी. व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं छात्रावास	31.25	शून्य	31.25
	उप योग		31.25	शून्य	31.25
52 कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	2205-00-106-29	13वें वित्त आयोग से संबंधित	9.00	8.00	1.00
	2205-00-796-29	13वें वित्त आयोग से संबंधित	16.00	14.00	2.00
	उप योग		25.00	22.00	3.00
55 ग्रामीण कार्य विभाग	2515-04-105-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत गैर पी.एम.जी.एस. वाई. सड़क के रख-रखाव एवं मरम्मत	28.09	17.41	10.67
	3054-04-105-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत गैर पी.एम.जी.एस. वाई. सड़क के रख-रखाव एवं मरम्मत	56.00	शून्य	56.00
	उप योग		84.09	17.41	66.68

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-196-02	जिला परिषद को विशेष क्षेत्र अनुदान	5.47	3.50	1.97
	2515-00-196-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत जिला परिषद को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	30.99	3.05	27.94
	2515-00-196-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत जिला परिषद को विशेष क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	5.47	शून्य	5.47
	2515-00-197-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	45.36	45.01	0.35
	2515-00-197-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र आधारभूत अनुदान	5.47	3.50	1.97
	2515-00-197-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	30.99	2.88	28.11
	2515-00-197-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत प्रखंड पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	5.47	शून्य	5.47
	2515-00-198-01	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	1.36	1.33	0.03
	2515-00-198-02	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	16.39	10.5	5.89
	2515-00-198-03	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	92.97	9.17	88.80
	2515-00-198-04	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	16.39	शून्य	16.39
	उप योग		256.33	78.94	177.39
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा विभाग	2202-01-111-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	1.43	शून्य	1.43
	2202-01-789-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	61.03	शून्य	61.03

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा विभाग	2202-01-796-33	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	154.37	शून्य	154.37
	उप योग		216.83	शून्य	216.83
60 सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	4235-02-103-59	13वें वित्त आयोग के सिफारिश के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण	54.00	48.62	5.38
	उप योग		54.00	48.62	5.38
कुल			1148.36	490.55	657.83

परिशिष्ट 1.6 भाग - ए

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 31)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और परिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; शमशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.6 भाग - बी

74^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 33)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	हाँ
2	भूसुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक विकास	आंशिक
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यतायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विधुतिकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नहीं
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	आंशिक
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विकसिप्तों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा.एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	982.75	566.53	57.65
2	2	पशुपालन विभाग	162.13	35.53	21.91
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	33.37	15.84	47.47
4	8	नागर विमानन विभाग	23.23	22.20	95.57
5	10	ऊर्जा विभाग	2254.96	718.15	31.85
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1144.20	570.55	49.86
7	21	उच्च शिक्षा विभाग	662.98	171.20	25.82
8	23	उद्योग विभाग	291.98	120.80	41.37
9	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1018.25	308.12	30.26
10	35	योजना एवं विकास विभाग	642.89	533.61	83.00
11	39	आपदा प्रबंधन विभाग	464.06	147.99	31.89
12	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	397.45	125.67	31.62
13	41	पथ निर्माण विभाग	278.44	58.73	21.09
14	42	ग्रामीण विकास विभाग	756.87	218.12	28.82
15	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	73.19	18.45	25.21
16	47	परिवहन विभाग	117.78	95.49	81.07
17	48	शहरी विकास विभाग	1395.01	901.17	64.60
18	49	जल संसाधन विभाग	331.96	85.14	25.65
19	50	लघु सिंचाई विभाग	82.43	19.40	23.54
20	51	कल्याण विभाग	875.88	247.96	28.31
21	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	84.38	35.04	41.53
22	53	मत्स्य विभाग	53.81	18.07	33.59
23	54	डेयरी	117.78	48.97	41.58
24	55	ग्रामीण कार्य विभाग	205.88	78.30	38.03
25	56	पंचायती राज एवं एन0 आर0 ई0 पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	2337.93	1468.05	62.79
26	58	माध्यमिक शिक्षा विभाग	799.93	217.04	27.13
27	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4369.24	1740.27	39.83
28	60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	1236.38	395.33	31.97

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		पूँजीगत			
29	3	भवन निर्माण विभाग	185.90	72.95	39.24
30	8	नागर विमानन विभाग	279.99	169.99	60.71
31	9	सहकारिता विभाग	20.66	10.01	48.45
32	10	ऊर्जा विभाग	766.88	591.54	72.14
33	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	10.00	100.00
34	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	318.55	152.37	47.83
35	22	गृह विभाग	99.55	23.49	23.60
36	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	175.45	88.04	50.18
37	42	ग्रामीण विकास विभाग	599.00	349.58	58.36
38	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	170.15	117.59	69.11
39	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	32.46	30.28	93.28
40	47	परिवहन विभाग	19.40	12.01	61.91
41	48	शहरी विकास विभाग	25.13	10.56	42.02
42	49	जल संसाधन विभाग	1660.00	1130.96	68.13
43	50	लघु सिंचाई विभाग	318.90	192.85	60.47
44	51	कल्याण विभाग	152.72	72.10	47.21
45	58	माध्यमिक शिक्षा विभाग	94.63	21.56	22.78
कुल			26124.51	12037.60	46.08

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2013-14 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण
(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-109-01	71.61	31.18	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय कम संख्याओं में जनसेवक के कार्यग्रहण को बताया गया एवं ₹ 11.18 करोड़ के अंतिम बचत का कारण की सूचना अप्राप्त है।
2.		2401-00-796-91	130.00	73.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
3.		2401-00-800-91	102.74	45.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
4.		2401-00-796-78	27.00	27.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
5.		2401-00-796-85	21.60	21.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
6.	8-नागर विमानन विभाग	5053-80-800-01	169.99	169.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
7.	10-ऊर्जा विभाग	2801-01-800-02	31.00	27.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
8.		2801-80-800-07	115.00	115.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
9.		6801-00-789-03	67.91	46.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
10.		6801-00-796-03	147.13	101.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
11.		6801-00-800-03	350.85	242.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
12.		6801-00-201-09	93.00	93.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
13.		6801-00-201-24	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
14.		6801-00-796-09	39.00	39.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
15.	13-ब्याज संदाय	2049-01-123-01	1084.24	158.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
16.		2049-01-200-02	200.00	35.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
17.		2049-04-109-01	102.33	102.33	कारण नहीं बताये गये हैं।
18.	14-ऋणकी वापसी/अदायगी	6003-00-105-01	350.00	48.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
19.		6003-00-109-01	150.00	85.18	₹ 8.22 करोड़ का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य को बताया गया एवं ₹ 76.96 करोड़ के अंतिम बचत का कारण की सूचना अप्राप्त है।
20.	15-पेंशन	2071-01-101-08	155.82	59.47	कारण नहीं बताये गये हैं।
21.		2071-01-101-09	510.00	210.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
22.		2071-01-104-03	162.00	130.17	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखों के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
23.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-13	126.23	22.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
24.		3456-00-102-27	34.86	34.61	₹ 19.05 करोड़ की बचत का श्रेय सिस्टम इंडीगेटर के लिए उचित निविदा की प्राप्ति नहीं होना बताया गया एवं ₹15.56 करोड़ की अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
25.		3456-00-102-31	77.01	46.75	कुल ₹ 46.75 करोड़ में से ₹ 1.46 करोड़ के बचत का श्रेय खाद्यानों के वितरण में बिलंब को बताया गया एवं ₹ 20 करोड़ एवं ₹ 25.29 करोड़ की सूचना अप्राप्त है।
26.		3456-00-789-31	33.00	27.94	₹ 2.55 करोड़ के बचत का श्रेय खाद्यानों के आपूर्ति में विलम्ब को बताया गया एवं आशंकित एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
27.		3456-00-796-13	206.06	41.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।
28.		3456-00-796-31	110.01	84.50	₹ 2.59 करोड़ के बचत का श्रेय खाद्यानों के आपूर्ति में विलम्ब को बताया गया एवं आशान्वित एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
29.		3456-00-102-28	59.08	59.08	कारण नहीं बताये गये हैं ।
30.		3456-00-102-29	31.00	31.00	आचार संहिता के कारण।
31.		3456-00-796-28	37.20	37.20	कारण नहीं बताये गये हैं ।
32.		3456-00-796-29	45.00	45.00	आचार संहिता के कारण।
33.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2211-00-101-01	94.18	41.04	कारण नहीं बताये गये हैं ।
34.		4210-02-796-29	36.00	29.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।
35.		4210-02-796-48	40.00	30.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
36.	21- उच्च शिक्षा	2202-03-796-34	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
37.	22-गृह विभाग	2055-00-110-01	188.27	43.76	कारण नहीं बताये गये हैं ।
38.		2055-00-115-43	131.74	52.77	कारण नहीं बताये गये हैं ।
39.	30- अल्पसंख्यक कल्याण	4225-80-796-12	94.97	52.72	कारण नहीं बताये गये हैं ।
40.	35- योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	75.63	39.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
41.		2235-02-796-01	75.71	42.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
42.		2053-00-094-31	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
43.		2053-00-796-24	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
44.		2053-00-796-25	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
45.		2053-00-796-31	77.35	77.35	कारण नहीं बताये गये हैं ।
46.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-01	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
47.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-796-04	22.12	22.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
48.		2029-00-796-04	22.12	22.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
49.	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	150.00	35.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
50.		5054-03-337-01	615.00	110.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
51.		5054-03-337-08	70.00	51.07	कारण नहीं बताये गये हैं ।
52.		5054-03-796-03	104.00	38.55	कारण नहीं बताये गये हैं ।
53.		5054-03-796-08	404.40	223.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
54.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-800-05	39.20	21.24	कारण नहीं बताये गये हैं ।
55.		2505-01-702-02	80.85	38.77	कारण नहीं बताये गये हैं ।
56.		4515-00-103-10	149.70	149.70	कारण नहीं बताये गये हैं ।
57.		4515-00-789-10	45.83	45.83	कारण नहीं बताये गये हैं ।
58.		4515-00-796-07	41.00	41.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
59.		4515-00-796-10	109.98	109.98	कारण नहीं बताये गये हैं ।
60.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06	82.55	58.12	कारण नहीं बताये गये हैं ।
61.		4202-02-105-06 (सी.पी.एस)	55.00	55.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
62.	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
63.		3075-60-796-01	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
64.	48- शहरी विकास विभाग	2215-01-796-01	45.00	21.91	कारण नहीं बताये गये हैं ।
65.		2217-80-191-47	234.33	219.30	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
66.		2217-80-191-56	22.00	20.55	कारण नहीं बताये गये हैं ।
67.		2217-80-192-08	27.00	23.21	कारण नहीं बताये गये हैं ।
68.		2217-80-796-47	234.33	150.14	₹ 20 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
69.		2217-80-796-51	31.10	23.89	कारण नहीं बताये गये हैं ।
70.		2217-80-001-48	76.01	76.01	कारण नहीं बताये गये हैं ।
71.		2217-80-789-47	117.16	117.16	₹ 10 करोड़ के बचत का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
72.		2217-80-796-54	50.00	50.00	केन्द्र सरकार से निधि का विमोचन नहीं होना।
73.	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	139.47	20.79	कारण नहीं बताये गये हैं ।
74.		2701-03-001-18	24.67	24.67	कारण नहीं बताये गये हैं ।
75.		4700-80-796-10	800.00	426.69	कारण नहीं बताये गये हैं ।
76.		4700-80-796-11	130.00	129.98	कारण नहीं बताये गये हैं ।
77.		4700-80-789-09	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
78.		4700-80-789-10	400.00	400.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
79.		4700-80-796-09	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
80.	50- लघु सिंचाई विभाग	4702-00-101-33	120.00	105.57	कारण नहीं बताये गये हैं ।
81.	51-कल्याण विभाग	2225-02-796-04	71.32	61.42	कारण नहीं बताये गये हैं ।
82.		2225-02-796-73	31.25	31.25	कारण नहीं बताये गये हैं ।
83.		4225-02-796-08	115.00	41.31	कारण नहीं बताये गये हैं ।
84.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-01	56.00	56.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
85.		4515-00-103-04	245.52	25.61	कारण नहीं बताये गये हैं ।
86.		4515-00-103-19	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
87.		4515-00-796-19	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
88.	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	145.40	100.93	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
89.		2515-00-001-38	200.00	132.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
90.		2515-00-196-03	30.99	27.93	केन्द्र सरकार से निधि का विमोचन नहीं होना।
91.		2515-00-197-03	30.99	28.11	केन्द्र सरकार से निधि का विमोचन नहीं होना।
92.		2515-00-198-03	92.97	83.79	केन्द्र सरकार से निधि का विमोचन नहीं होना।
93.		2515-00-789-15	85.00	76.51	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
94.		2515-00-789-38	80.00	63.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
95.		2515-00-796-15	195.00	175.39	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
96.		2515-00-796-38	230.00	145.00	प्रथम एवं दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
97.		2515-00-001-29	200.00	200.00	एल.डबल्यू.ई. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए निधि उपलब्ध कराना।
98.		2515-00-789-29	80.00	80.00	एल.डबल्यू.ई. हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराना।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
99.		2515-00-796-29	230.00	230.00	एल.डबल्यू.ई. हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराना।
100.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	421.39	135.45	कारण नहीं बताये गये हैं ।
101.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2413.21	732.92	₹ 600 करोड़ का श्रेय निधियों के प्रावधानों से आधिक्य था एवं ₹ 132.82 के अंतिम बचत की सूचना अप्राप्त है।
102.		2202-01-101-03	174.00	51.54	कारण नहीं बताये गये हैं ।
103.		2202-01-101-27	36.00	21.05	कारण नहीं बताये गये हैं ।
104.		2202-01-111-25	206.00	109.18	कारण नहीं बताये गये हैं ।
105.		2202-01-789-03	74.00	29.88	कारण नहीं बताये गये हैं ।
106.		2202-01-789-25	87.55	46.40	कारण नहीं बताये गये हैं ।
107.		2202-01-796-03	187.00	50.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
108.		2202-01-796-25	221.45	117.37	कारण नहीं बताये गये हैं ।
109.		2202-01-796-27	38.70	23.80	कारण नहीं बताये गये हैं ।
110.		2202-01-111-33	143.60	143.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
111.		2202-01-789-33	61.03	61.03	कारण नहीं बताये गये हैं ।
112.		2202-01-796-33	154.37	154.37	कारण नहीं बताये गये हैं ।
113.	60- समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	194.40	69.92	कारण नहीं बताये गये हैं ।
114.		2235-02-103-71	20.50	20.44	कारण नहीं बताये गये हैं ।
115.		2235-02-796-51	210.60	66.18	कारण नहीं बताये गये हैं ।
116.		2235-02-796-71	24.00	23.90	कारण नहीं बताये गये हैं ।
117.		2236-02-101-02	92.25	22.69	कारण नहीं बताये गये हैं ।
कुल			17531.83	9527.28	

परिशिष्ट - 2.3

*पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ कंडिका : 2.4.5; पृष्ठ 61)*

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
कुल			9803.97

स्रोत: संगत वर्षों के विनियोग लेखे :

* अतिरिक्त राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 1,072 थी।

अतिरिक्त राशि केवल ₹ 49,670 थी।

\$ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ अतिरिक्त राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट - 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ कंडिका : 2.4.6; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (भारित)				
1	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	4618.20	4316.07	302.13	201.70
	कुल राजस्व भारित	4618.20	4316.07	302.13	201.70
	राजस्व (दत्तमत)				
2	1-कृषि गन्ना विकास विभाग	93941.03	41622.02	52319.01	4333.56
3	2-पशुपालन विभाग	15944.96	12659.60	3285.36	267.57
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	3160.61	1752.82	1407.79	175.99
5	7-निगरानी	1351.70	1261.05	90.65	40.43
6	8-नागर विमानन विभाग	2301.01	103.54	2197.47	22.22
7	9-सहकारिता विभाग	8294.45	7182.71	1111.74	101.02
8	10-ऊर्जा विभाग	175364.91	153681.89	21683.02	50131.53
9	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5708.94	5291.84	417.10	400.50
10	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	99433.04	57365.26	42067.78	14987.20
11	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	30775.97	27105.74	3670.23	2379.43
12	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	113319.72	96662.82	16656.9	455.79
13	22-गृह विभाग	278670.68	268479.88	10190.8	9966.75
14	23-उद्योग विभाग	29093.82	17117.56	11976.26	104.19
15	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	99620.28	71012.95	28607.33	2204.91
16	27-विधि विभाग	20914.10	18393.82	2520.28	282.68
17	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2697.40	1853.42	843.98	57.88
18	30-अल्पसंख्यक कल्याण	173.99	128.92	45.07	17.70
19	31-संसदीय कार्य	41.09	34.40	6.69	28.84
20	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1736.38	1720.24	16.14	314.92
21	35-योजना एवं विकास विभाग	64246.41	10928.17	53318.24	42.54
22	38-निबंधन विभाग	1977.20	1876.65	100.55	312.00
23	39-आपदा प्रबंधन विभाग	45876.26	31607.21	14269.05	529.91
24	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	39716.56	27177.94	12538.62	28.32

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (दत्तमत)				
25	41-पथ निर्माण विभाग	27711.40	21970.82	5740.58	132.22
26	42-ग्रामीण विकास विभाग	75660.37	53875.89	21784.48	27.04
27	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिक विभाग	7218.72	5473.40	1745.32	99.80
28	46-पर्यटन विभाग	931.45	841.60	89.85	62.95
29	48-शहरी विकास विभाग	128735.01	49383.94	79351.07	10766.19
30	49- जल संसाधन विभाग	33080.76	24682.19	8398.57	115.10
31	50- लघु सिंचाई विभाग	8222.97	6302.58	1920.39	20.10
32	51- कल्याण विभाग	81063.80	62791.63	18272.17	6524.30
33	52- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7859.07	4933.82	2925.25	578.89
34	54- डेयरी	11740.48	6881.19	4859.29	37.80
35	55-ग्रामीण कार्य विभाग	20136.54	12758.52	7378.02	451.59
36	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल)	167228.33	86988.66	80239.67	66565.15
37	57-आवास विभाग	1039.18	132.66	906.52	47.00
38	58-माध्यमिक शिक्षा	74097.74	58289.35	15808.39	5895.65
39	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	123396.52	84104.99	39291.53	241.93
कुल राजस्व (दत्तमत)		1902482.85	1334431.69	568051.16	178751.59
कुल राजस्व		1907101.05	1338747.76	568353.29	178953.29
पूँजीगत (दत्तमत)					
40	3-भवन निर्माण विभाग	14600.00	11294.87	3305.13	3990.00
41	9-सहकारिता विभाग	1650.00	1065.00	585.00	416.00
42	20- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	29180.28	16617.96	12562.32	2675.00
43	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	36000.00	32101.76	3898.24	350.00
44	48-नगर विकास विभाग	2221.72	1457.68	764.04	291.47
45	49-जल संसाधन विभाग	164000.00	52904.44	111095.56	2000.00
46	50-लघु सिंचाई विभाग	29860.00	12605.30	17254.70	2030.00
47	53-मत्स्य	700.00	376.20	323.80	36.80
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		278212.00	128423.21	149788.79	11789.27
सकल योग		2185313.05	1467170.97	718142.08	190742.56

परिशिष्ट 2.5
निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ कांकडि : 2.4.7; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचज (-)/ अधिक्य (+)
1.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-01	45.00	---	(-)16.71
2.		2403-00-103-03	15.00	---	(-)6.97
3.		2403-00-113-01	17.00	---	(-)0.73
4.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-05	52.87	---	(-)13.84
5.	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-105-01	0.44	---	(-)3.02
6.	7-निगरानी	2070-00-104-02	11.64	---	(-)4.50
7.		2070-00-104-03	0.39	---	(-)11.87
8.	12-वित्त विभाग	2052-00-090-08	4.13	---	(-)112.21
9.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	4.80	---	(-)9.86
10.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-13	200.00	---	(-)199.12
11.		2210-03-103-01	200.00	---	(-)585.28
12.	22-गृह विभाग	2055-00-001-04	35.00	---	(-)50.40
13.		2055-00-101-06	275.00	---	(-)5.89
14.		2055-00-104-04	400.00	---	(-)2.45
15.		2055-00-104-05	524.00	---	(-)285.59
16.	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-01	4.59	---	(-)1.94
17.	27-विधि विभाग	2014-00-114-02	22.00	---	(-)146.20
18.	32-विधान मंडल	2011-02-103-01	38.50	---	(-)27.58
19.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2052-00-099-01	8.50	---	(-)3.74
20.	42-ग्रामीण विकास विभाग	3451-00-090-10	38.00	---	(-)19.04
21.	44-मानव संसाधन विकास विभाग	2251-00-090-01	27.28	---	(-)8.82
22.		2251-00-090-03	1.00	---	(-)5.90
23.	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-796-85	1.00	---	(-)41.00
24.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-001-01	10.00	---	(-)7.45
कुल			1936.14	---	(-)1570.11
25.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-102-05	---	3.15	(+)28.45
26.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	---	52.87	(+)537.40
कुल			---	56.02	(+)565.85

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	566.53	55.38	511.15
2	2-पशुपालन विभाग	35.53	31.77	3.76
3	3-भवन निर्माण विभाग	11.39	0.00	11.39
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	15.84	0.23	15.61
5	7-निगरानी	1.31	0.02	1.29
6	8-नागर विमानन विभाग	22.20	0.00	22.2
7	9-सहकारिता विभाग	12.13	10.38	1.75
8	10- ऊर्जा विभाग	718.15	502.54	215.61
9	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	5.48	0.00	5.48
10	12-वित्त विभाग	9.77	0.00	9.77
11	18- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	570.55	274.29	296.26
12	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	60.50	4.96	55.54
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	171.13	10.53	160.60
14	21-उच्च शिक्षा	171.20	8.50	162.70
15	22-गृह विभाग	201.58	26.05	175.53
16	23-उद्योग विभाग	120.80	0.36	120.44
17	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	6.82	1.15	5.67
18	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	308.12	9.35	298.77
19	27-विधि विभाग	28.03	0.00	28.03
20	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	5.04	0.00	5.04
21	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	9.02	0.20	8.82
22	35-योजना एवं विकास विभाग	533.61	190.63	342.98
23	38-निबंधन विभाग	4.13	0.00	4.13
24	39-आपदा प्रबंधन विभाग	147.99	0.00	147.99
25	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	125.67	6.57	119.10

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
26	41-पथ निर्माण विभाग	58.73	1.00	57.73
27	42-ग्रामीण विकास विभाग	218.12	8.54	209.58
28	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	18.45	10.00	8.45
29	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	19.24	8.36	10.88
30	47-परिवहन विभाग	95.49	75.00	20.49
31	48-शहरी विकास विभाग	901.17	139.95	761.22
32	49-जल संसाधन विभाग	85.14	0.60	84.54
33	50-लघु सिंचाई विभाग	19.40	0.00	19.4
34	51-कल्याण विभाग	247.96	19.77	228.19
35	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	35.04	2.03	33.01
36	53-मत्स्य	18.07	13.30	4.77
37	55- ग्रामीण कार्य विभाग	78.30	0.00	78.30
38	58-माध्यमिक शिक्षा	217.04	37.40	179.64
39	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	1740.27	600.00	1140.27
40	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	395.33	0.41	394.92
पूँजीगत				
41	3-भवन निर्माण विभाग	72.95	39.90	33.05
42	8-नागर विमानन विभाग	169.99	0.00	169.99
43	10- ऊर्जा विभाग	591.54	0.00	591.54
44	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	0.00	10.00
45	12-वित्त विभाग	12.64	0.00	12.64
46	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	152.37	24.97	127.40
47	30-अल्पसंख्यक कल्याण	88.04	3.90	84.14
48	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	42.48	22.00	20.48
49	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1.44	0.00	1.44
50	41-पथ निर्माण विभाग	348.68	250.00	98.68
51	42-ग्रामीण विकास विभाग	349.58	137.74	211.84
52	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	117.59	92.60	24.99
53	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	30.28	28.00	2.28
54	47-परिवहन विभाग	12.01	0.00	12.01
55	48-शहरी विकास विभाग	10.56	5.00	5.56

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
56	49-जल संसाधन विभाग	1130.96	73.60	1057.36
57	50-लघु सिंचाई विभाग	192.85	6.10	186.75
58	51-कल्याण विभाग	72.10	41.30	30.80
59	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	4.33	0.00	4.33
60	55-ग्रामीण कार्य विभाग	77.14	0.00	77.14
61	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2.73	0.00	2.73
62	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	5.37	0.00	5.37
कुल		11505.90	2774.38	8731.52

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.7

30 और 31 मार्च 2013 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	2-पशुपालन विभाग	2403-00-106-12	10.58
2	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-101-12	500.00
3	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	6.76
4		2215-01-102-03	5.89
5	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-01	20.00
6		3075-60-101-03	10.00
7		3075-60-796-01	30.00
8		3075-60-796-03	15.00
9	49-जल संसाधन विभाग	4701-80-800-46	5.00
10	54-डेयरी	2404-00-796-27	8.28
11		2404-00-102-27	12.46
12	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष मंडल) विभाग	2515-00-001-38	132.00
13		2515-00-001-15	100.93
14		2515-00-789-15	76.51
15		2515-00-796-15	175.39
16		2515-00-796-38	145.00
17		2515-00-789-38	63.00
18		2515-00-198-02	5.89
19		2515-00-198-03	83.79
20		2515-00-198-04	16.39
21		2515-00-197-03	27.93
22		2515-00-197-04	5.47
23		2515-00-196-04	5.47
24		2515-00-196-03	27.93
25		2515-00-001-03	25.22
26	57-आवास विभाग	2216-02-796-06	5.00
कुल अनुदान			1519.89

परिशिष्ट 2.8
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5 पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2014 के दौरान किया गया खर्च	मार्च 2014 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2014	मार्च 2014
1	कल्याण विभाग	4225	159.69	83.98	168.03	95.04	49.98
2	मानव संसाधन विभाग	2205	24.93	24.10	27.21	91.60	88.58
3	उद्योग विभाग	2852	44.82	42.65	58.48	76.63	72.93
4	कल्याण विभाग	2225	475.96	390.30	624.84	76.17	62.46
5	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	208.52	168.51	275.14	75.78	61.24
6	ग्रामीण कार्य विभाग	2501	37.47	35.73	51.86	72.25	68.89
7	भवन निर्माण विभाग	4059	64.06	42.92	92.03	69.61	46.64
8	जल संसाधन विभाग	4701	97.03	69.93	146.71	66.14	47.67
9	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2015	25.51	22.35	39.06	65.32	57.23
10	गृह विभाग	4055	45.23	41.40	72.70	62.22	56.95
11	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2402	30.23	23.80	49.55	61.02	48.04
12	ग्रामीण कार्य विभाग	2515	685.93	626.53	1127.97	60.81	55.54
13	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	77.30	59.80	127.74	60.51	46.81
14	कल्याण विभाग	4235	59.99	38.25	102.63	58.45	37.27
15	पथ निर्माण विभाग	5054	1058.69	774.44	1877.26	56.40	41.25
16	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	93.63	67.55	166.18	56.34	40.65
17	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2415	45.43	23.49	82.06	55.37	28.63
18	शहरी विकास विभाग	2217	213.55	202.24	397.61	53.71	50.86
19	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203	72.72	64.49	137.09	53.05	47.04
20	उद्योग विभाग	2851	58.32	43.07	110.09	52.98	39.12

परिशिष्ट - 2.9

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान असंशोधित रह गई

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग	29.12
2	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग	14.88
3	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग सेक्शन-iv ग्रामीण पुलिस आयुक्त, उत्तर छो. ना. प्रमंडल, हजारीबाग	2509.83
4	वित्त आयुक्त	52.62
5	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	247.97
6	वाणिज्यिक कर आयुक्त, राँची	34.58
7	चुनाव आयोग, चुनाव विभाग	39.05
8	सचिव, ऊर्जा विभाग	1508.90
9	निदेशक, ऊर्जा विभाग	11.87
10	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनन विभाग	158.07
11	पंजीयक, उद्योग विभाग	21.08
12	म.नि. (कारा) गृह विभाग	18.48
13	पंजीयन के म.नि., पंजीयन विभाग राँची	13.38
14	अपर सचिव भवन निर्माण एवं आवास (पी.डब्ल्यू.डी. प्रमंडल) विभाग मुख्य अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग	
15	मुख्य अभियंता सड़क निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	85.67
16	सचिव, पी.एच.ई.डी., झारखण्ड, राँची	224.59
17	सचिव, आवास विभाग, राँची मुख्य अभियंता, आवास विभाग	291.99
18	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा उप सचिव, उच्च शिक्षा	39.12
19	उप सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	3810.65
20	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग	14.83
21	सचिव, मंडल राजस्व विभाग	10.74
22	आयुक्त-सह-सचिव राजस्व विभाग, उप निदेशक सर्वेक्षण बंदोबस्त, झारखण्ड राँची	197.75
23	उत्पाद कर आयुक्त झारखण्ड राँची	13.79
24	अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कल्याण विभाग	14.61
25	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड राँची	78.39

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
26	पंजीयक, सहकारी समिति, सहकारी विभाग	1055.06
27	सुयंक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	29.75
28	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग	189.53
29	सचिव, खाद्य एवं पोषण/खाद्य आपूर्ति विभाग	118.65
30	योजना एवं मूल्यांकन विभाग	911.42
31	निदेशक, परिवीक्षाधीन सेवा, झारखण्ड राँची	13.15
32	सचिव कल्याण विभाग	102.62
33	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	623.79
34	सचिव शहरी विकास विभाग	178.02
35	सचिव कल्याण विभाग । निदेशक, सामाजिक सुरक्षा विभाग	523.65
36	श्रम आयुक्त	1075.48
37	निदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण	122.53
38	सचिव लघु सिंचाई, राँची	49.51
39	सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	34.14
40	निदेशक दुग्ध विकास विभाग	261.60
41	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	29.43
42	मत्स्य निदेशक झारखण्ड राँची	13.99
43	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	26.95
44	निदेशक पंचायती राज विभाग	249.73
45	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जे.एस.आर.टी.सी. झारखण्ड	2265.66
46	सचिव झारखण्ड विधान सभा	15.39
	कुल	17380.93

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट - 2.10

बढ़ा हुआ बजट आकलन

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन				बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	अभ्यर्पण	अंतिम आबंटन	
1	2210-01-001-06	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
2	2210-01-001-18	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3	2210-01-001-21	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	2210-01-001-37	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
5	2210-01-109-17	105.56	0.00	0.00	105.56	105.56
6	2210-01-110-25	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7	2210-01-110-28	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00
8	2210-01-110-30	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
9	2210-02-200-04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
10	2210-02-200-05	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
11	2210-02-200-13	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
12	2210-02-200-17	5.57	0.00	0.00	5.57	5.57
13	2210-02-200-21	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00
14	2210-02-200-22	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00
15	2210-02-796-18	108.06	0.00	0.00	108.06	108.06
16	2210-02-796-19	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00
17	2210-02-796-20	2.94	0.00	0.00	2.94	2.94
18	2210-03-796-19	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
19	2210-03-800-16	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
20	2210-03-800-17	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
21	2210-03-800-18	670.00	0.00	27.80	642.20	642.20
22	2210-05-796-13	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
23	2210-05-796-14	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00
24	2211-00-001-01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
25	4210-01-110-07	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
26	4210-01-110-08	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
27	4210-01-110-10	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन				बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	अभ्यर्पण	अंतिम आबंटन	
28	4210-01-110-11	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
29	4210-02-101-62	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
30	4210-02-110-13	287.40	0.00	0.00	287.40	287.40
31	4210-02-110-26	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
32	4210-02-110-36	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00
33	4210-02-796-61	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
34	4210-03-105-04	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
कुल		4804.04	0.00	27.80	4776.24	4776.24

परिशिष्ट - 2.11

सतत् बचत

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशतता
2010-11	राजस्व	800.45	42.21	842.66	664.26	178.40	
	पूँजीगत	218.82	10.47	229.29	142.68	86.61	
	कुल	1019.27	52.68	1071.95	806.94	265.01	24.72
2011-12	राजस्व	1086.02	8.21	1094.23	816.30	277.93	
	पूँजीगत	341.25	0.00	341.25	163.54	177.72	
	कुल	1427.27	8.21	1435.48	979.84	455.65	31.74
2012-13	राजस्व	1105.87	19.66	1125.53	799.40	326.13	
	पूँजीगत	352.56	54.80	407.36	146.84	260.52	
	कुल	1458.43	74.46	1532.89	946.24	586.65	38.27

स्रोत: विनियोग लेख 2010-2013

परिशिष्ट 2.12

रिक्त पदों के लिए परिहार्य बजट प्रावधान

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2 पृष्ठ 65)

कार्यालय का नाम	शीर्ष	रिक्त पदों की संख्या	माँग की गई राशि (₹ लाख में)
रिनपास, काँके, राँची	गैर-योजना	179	498.53
	योजना	27	204.16
रिम्स, राँची	गैर-योजना	01	12.15
सदर अस्पताल, हजारीबाग	गैर-योजना	13	16.63
ए.सी.एम.ओ., हजारीबाग	(सी.पी.एस)	02	9.26
ए.सी.एम.ओ., जमशेदपुर	(सी.पी.एस)	03	6.64

परिशिष्ट 2.13
अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.7.3 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	अंतिम	व्यय	मूल अनुदान से बचत
1	2210-01-001-02	1176.40	56.25	0.00	1232.65	1062.83	113.57
2	2210-01-001-04	749.77	4.15	0.00	753.92	732.39	17.38
3	2210-01-110-12	1787.05	56.00	0.00	1843.05	1471.18	315.87
4	2210-02-101-01	924.08	0.24	0.00	924.32	832.74	91.34
5	2210-03-101-02	4388.53	3.08	0.00	4391.61	3979.23	409.30
6	2210-03-103-01	12801.59	200.00	100.00	12901.59	12316.31	385.28
7	2210-03-103-03	7067.66	0.91	400.00	6668.57	5828.78	838.88
8	2210-03-110-04	3044.71	0.89	0.00	3045.60	2755.92	288.79
9	2210-04-102-01	306.18	0.43	28.73	277.88	225.89	51.56
10	2210-06-001-02	228.61	0.51	0.00	229.12	191.36	37.25
11	2210-06-101-01	870.88	34.37	0.00	905.25	844.91	25.97
12	2210-06-101-05	1503.84	82.10	0.00	1585.94	1503.43	0.41
13	2210-06-101-06	299.87	0.35	0.00	300.22	253.44	46.43
14	4210-01-110-04	150.00	200.00	0.00	350.00	126.22	23.78
15	4210-02-103-09	4690.00	500.00	0.00	5190.00	3888.07	801.93
16	4210-02-110-24	1220.00	300.00	0.00	1520.00	1180.96	39.04
कुल		41209.17	1439.28	528.73	42119.72	37193.66	3486.78

परिशिष्ट 2.14
व्यय का वेग (राज्य स्तरीय)
(संदर्भ: कंडिका 2.7.5 पृष्ठ 67)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	आबंटन				व्यय		मार्च में प्रतिशत
		मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	अंतिम	मार्च में	कुल	
1	2210-01-001-13	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00
2	2210-01-001-20	50.00	0.00	0.00	50.00	30.00	30.00	100.00
3	2210-01-110-02	2.00	0.00	0.00	2.00	1.72	1.72	100.00
4	2210-01-110-10	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100.00
5	2210-01-110-11	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100.00
6	2210-01-110-16	2236.23	0.00	0.00	2236.23	2236.23	2236.23	100.00
7	2210-01-110-18	10.00	0.00	0.00	10.00	6.83	6.83	100.00
8	2210-01-110-26	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00
9	2210-01-110-36	200.00	0.00	0.00	200.00	105.26	105.26	100.00
10	2210-01-796-05	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00
11	2210-06-104-02	3.00	0.00	0.00	3.00	0.09	0.09	100.00
12	4210-01-110-12	300.00	0.00	180.00	120.00	120.00	120.00	100.00
13	4210-02-103-07	450.00	0.00	0.00	450.00	223.59	223.59	100.00
14	4210-02-110-33	200.00	0.00	0.00	200.00	71.68	71.68	100.00
15	4210-02-796-33	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00
16	4210-02-796-48	4000.00	0.00	742.40	3257.60	930.49	930.49	100.00
17	4210-02-796-01	1265.21	0.00	0.00	1265.21	343.91	395.09	87.05
18	2210-01-110-24	1775.00	0.00	0.00	1775.00	706.23	817.00	86.44
19	2210-03-110-01	3.00	0.00	0.00	3.00	1.52	2.03	74.88
20	4210-02-110-34	220.00	0.00	0.00	220.00	101.14	149.79	67.52
21	4210-02-103-09	4690.00	500.00	0.00	5190.00	2616.28	3888.07	67.29
22	2210-01-001-05	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2027.61	3392.08	59.77
23	4210-02-796-39	1000.00	0.00	0.00	1000.00	422.11	714.05	59.11
24	4210-02-110-24	1220.00	300.00	0.00	1520.00	670.52	1180.96	56.78
25	4210-02-110-17	1348.56	0.00	0.00	1348.56	450.93	801.46	56.26
26	4210-02-103-08	2600.00	0.00	0.00	2600.00	660.03	1287.14	51.28
कुल		28021.00	800.00	922.40	27898.60	14124.17	18751.56	

परिशिष्ट 2.15
व्यय का वेग (क्षेत्र इकाईयों)
(संदर्भ: कंडिका 2.7.5 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालयों का नाम	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत
1	का.अभि., दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	2153.86	574.86	26.69
2	का. अभि., उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	2003.00	533.00	26.61
3	का. अभि., कोल्हान प्रमंडल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	3210.00	1709.00	53.24
4	रिनपास,काँके	योजना	1795.31	512.11	28.52
5	अधीक्षक सदर अस्पताल, राँची	सामग्री एवं आपूर्ति	2.98	2.00	67.11
		मशीनी उपकरण	0.50	0.50	100.00
		यात्रा भत्ता	0.87	0.87	100.00
6	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची	दवाई	63.00	36.68	58.22
		वाह्य श्रोत	102.44	40.02	39.02
7	रिम्स	अनुवांशिक स्कन्द	105.26	105.26	100.00
8	अधीक्षक सदर अस्पताल, हजारीबाग	दवाई	19.99	10.19	51.00
		सामग्री एवं आपूर्ति	5.93	3.09	52.00
9	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमशेदपुर	दवाई	4.86	4.86	100.00
		वाह्य श्रोत	205.88	205.88	100.00
10	महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर	दवाई	146.19	67.82	46.00
11	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चायबासा	मशीनी उपकरण	1.10	1.10	100.00
	कुल		9821.17	3807.24	

परिशिष्ट 2.16
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन
(संदर्भ: कंडिका 2.7.6 पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	म.ले. (लेखा एवं हक.) के बही के अनुसार व्यय	समाशोधित व्यय	असमाशोधित व्यय
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	88599.70	980.75	87618.95
2211- परिवार कल्याण	7839.34	शून्य	7839.34
2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	223.78	शून्य	223.78
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	16617.96	शून्य	16617.96
कुल	113280.78	980.75	112300.03

परिशिष्ट 2.17
डी.सी.विपत्र का अप्रस्तुतीकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 69)

(₹ में)

मुख्य शीर्ष : 2210							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक अभिश्रव संख्या		डी.डी.ओ.	ए. सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी. विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
चतरा	3	00014	सी.टी.आर.एम.ई.डी.013	01/2013-14	13666666	0	13666666
देवघर	3	00023	डी.जी.आर.एम.ई.डी.डी.5	104/13-14	11702765	0	11702765
धनबाद	3	00011	डी.एच.एन.एम.ई.डी.072	55/2013-14	18413266	0	18413266
दुमका	3	00008	डी.एम.के.एम.ई.डी.079	72/13-14	12464166	0	12464166
डोरन्डा	2	00005	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	02/13-14	15000000	0	15000000
डोरन्डा	3	00034	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	29/13-14	1000000	0	1000000
डोरन्डा	3	00119	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	27/13-14	20000000	0	20000000
गोडा	3	00003	जी.डी.डी.एम.ई.डी.010	53/2013-14	12104966	0	12104966
गुमला	3	00009	जी.एम.एल.एम.ई.डी.010	66/2013-20	13416666	0	13416666
गढ़वा	3	00142	जी.आर.एच.एम.ई.डी.052	32/13-14	102675	0	102675
हजारीबाग	11	00010	एच.जेड.बी.एम.ई.डी.069	63/13-14	15000000	0	15000000
जामतारा	2	00004	जे.एम.टी.एम.ई.डी.058	27/13-14	2000000	0	2000000
जमशेदपुर	3	00013	जे.एस.आर.एम.ई.डी.031	89/13-14	4166666	0	4166666
खूँटी (उप कोषागार)	3	00005	के.एच.एन.एम.ई.डी.एल.05	23/13-14	11666682	0	11666682
लेहरदगा	3	00007	एल.डी.जी.एम.ई.डी.008	50/13-14	8018166	0	8018166
लातेहार	3	00009	एल.टी.आर.एम.ई.डी.047	38/13-14	5804164	0	5804164
पाकुड़	3	00009	पी.के.आर.एम.ई.डी.009	37/13-14	13666666	0	13666666
रामगढ़ (उप कोषागार)	3	00016	आर.जी.एच.एम.ई.डी.013	03/13-14	15166666	0	15166666
राँची	3	00014	आर.एन.सी.एम.ई.डी.013	7/13-14	15699276	0	15699276
राँची	3	00127	आर.एन.सी.एम.ई.डी.020	85/13-14	12000000	0	12000000
राँची	3	00159	आर.एन.सी.एम.ई.डी.020	84/13-14	600000	0	600000
साहिबगंज	3	00014	एस.बी.जे.एम.ई.डी.001	38/13-14	10081666	0	10081666
सिमडेगा	3	00011	एस.डी.जी.एफ.एम.डब्ल्यू.020	44/13-14	11561666	0	11561666
सिंहभूम	5	00008	एस.जी.एच.एम.ई.डी.075	01/2013-20	13000000	1217891	11782109
सरायकेला	3	00006	एस.के.एल.एम.ई.डी.112	32/2013-14	6000000	0	6000000
सरायकेला	7	00001	एस.के.एल.एम.ई.डी.112	04/2013	5000000	5000000	0
कुल					267302788	6217891	261084897

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

मुख्य शीर्ष : 2251							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक	अभिध्व संख्या	डी.डी.ओ.	ए.सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी. विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
रॉची सचिवालय	3	00071	पी.आर.जे.एस.एस.एस.006	325/13-14	50000	0	50000
कुल					50000	0	50000

मुख्य शीर्ष : 4210							
वित्तीय वर्ष 2013-2014							
कोषागार	मासिक	अभिध्व संख्या	डी.डी.ओ.	ए.सी. विपत्र संख्या	आहरित ए.सी.विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	शेष ए.सी. विपत्र
डोरन्डा	3	00001	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	28/13-14	12000000	0	12000000
डोरन्डा	3	00002	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	12/13-14	100000000	0	100000000
डोरन्डा	3	00003	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	05/13-14	7000000	0	7000000
डोरन्डा	3	00004	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	10/13-14	3000000	0	3000000
डोरन्डा	3	00005	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	11/13-14	1000000	0	1000000
डोरन्डा	3	00006	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	04/13-14	48000000	0	48000000
डोरन्डा	3	00007	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	07/13-14	5000000	0	5000000
डोरन्डा	3	00008	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	09/13-14	4000000	0	4000000
डोरन्डा	3	00009	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	08/13-14	5000000	0	5000000
डोरन्डा	12	00001	डी.आर.एन.एम.ई.डी.124	01/13-14	50000000	0	50000000
कुल					235000000	0	235000000

डीसी विपत्र के अप्रस्तुतीकरण का सारांश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	आहरित ए.सी.विपत्र	जमा किये गए डी. सी. विपत्र	बकाया ए.सी. विपत्र
1	2210	2673.03	62.18	2610.85
2	2251	0.50	0.00	0.50
3	4210	2350.00	0.00	2350.00
कुल		5023.53	62.18	4961.35

परिशिष्ट 3.1

वर्ष 2006-13 के दौरान आवंटित सहायता अनुदान के संदर्भ में 31 मार्च 2014 तक बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.1 पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष विभाग	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
		उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि
1	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.	72	140.95	26	48.13	55	251.03	38	156.86	99	250.84	64	259.97	566	1031.57	920	2139.35
2	नगर विकास	186	24.21	189	45.49	352	114.12	585	194	522	142.12	390	146.64	961	515.96	3185	1182.54
3	मानव संसाधन	4	16.17	3	1.72	3	4.29	5	1.55	5	5.47	4	27.20	8	792.65	32	849.05
4	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	452.25	3	301.98	16	754.23
5	कल्याण	19	12.40	18	6.55	13	5.36	20	6.02	29	98.83	137	13.63	99	167.11	335	309.90
6	ग्रामीण विकास	2	20.00	0	0	0	0	1	0.16	1	2.00	0	0	13	215.00	17	237.16
7	योजना एवं विकास	5	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	11	152.26	14	1.40	30	191.16
8	पेयजल एवं स्वच्छता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	190.05	8	190.05
9	सहकारिता	10	5.79	12	4.08	6	7.71	8	9.23	34	97.53	9	5.48	50	17.75	129	147.57
10	नागर विमानन	0	0	0	0	1	1.06	0	0	1	7.29	2	65.41	3	40.00	7	113.76
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	110.09	4	110.09
12	ऊर्जा	2	17.38	0	0	1	1.50	1	30.00	4	24.66	0	0	0	0	8	73.54
13	उद्योग	0	0	0	0	0	0	30	42.61	22	18.31	2	1.81	1	1.00	55	63.73
14	कृषि एवं गन्ना	4	3.10	4	2.50	0	0	0	0	0	0	2	11.50	13	35.47	23	52.57
15	ड्रेयरी विकास	6	0.19	21	4.29	2	6.00	2	4.00	0	0	0	0	23	16.05	54	30.53
16	गृह	22	1.51	21	2.56	55	5.33	76	7.45	134	7.49	37	2.47	2	2.08	347	28.89
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	2	6.78	0	0	0	0	0	0	8	11.28	10	18.06
18	वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.70	0	0	2	14.70
19	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	9.21	28	9.21
20	पर्यटन	1	0.50	1	0.50	15	7.45	0	0	0	0	1	0.50	0	0	18	8.95
21	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.00	0	0	2	5.00

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम. सं.	वर्ष विभाग	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
		उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि
22	पशुपालन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.85	4	3.07	6	4.92
23	आवास	0	0	3	1.80	0	0	0	0	3	0.80	4	1.50	0	0	10	4.10
24	कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	1	0.07	3	1.42	1	0.20	0	0	0	0	0	0	4	0.91	9	2.60
25	विधि	0	0	0	0	1	0.60	1	0.50	1	0.60	0	0	0	0	3	1.70
26	मत्स्य	0	0	0	0	0	0	5	0.25	0	0	0	0	0	0	5	0.25
27	भूमि राजस्व	1	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.21
	कुल	335	279.98	301	119.04	507	411.43	772	452.63	855	655.94	682	1162.17	1812	3462.63	5264	6543.82

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची का कार्यालय, द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

परिशिष्ट 3.2
कल्याण विभाग में बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1 एवं 3.2.2 पृष्ठ 82 एवं 83)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		जमा किये गये डी.सी. विपत्र		बकाये डी.सी. विपत्र		अभियुक्ति
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2011-12	70	42.96	04	3.06	66	39.90	आठ ए.सी. विपत्र से संबंधित डी.सी. सौपा गया जिसमें से ₹ 1.90 करोड़ के चार ए.सी विपत्रों का पूर्णतः समायोजन किया गया एवं शेष ₹ 1.16 करोड़ का आंशिक समायोजन किया गया
2012-13	25	107.06	00	0.00	25	107.06	
2013-14	02	14.58	00	0.00	02	14.58	
कुल	97	164.60	04	3.06	93	161.54	

परिशिष्ट 3.3

नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 90)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति (एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2006-07
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	शून्य
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	2012-13
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	2010-11
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	2012-13
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	2011-12
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	2012-13
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	2010-11
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	2010-11
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	2012-13
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	शून्य
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	2011-12
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	शून्य
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	शून्य
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	2012-13
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	शून्य

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	शून्य
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	रामगढ़	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति, नामकुम)	राँची	2011-12
23	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2011-12
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला खरसावाँ	शून्य
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	शून्य
26	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिम सिंहभूम	शून्य
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति))	साहेबगंज	शून्य
28	स्वास्थ्य	निदेशक, रिनपास कांके	राँची	2008-09
29	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2012-13
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2012-13
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2011-12
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2011-12
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2012-13
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2012-13
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
53	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
54	उद्योग	भारत- डेनमार्क यंत्र कक्ष, आदित्यपुर, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2012-13
55	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2012-13
56	नागर विमानन	नागरिक विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
57	सूचना प्रौद्योगिकी	जैप. आई. टी.	राँची	2011-12
58	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
59	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2005-06
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2012-13
62	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2013-14
63	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	10/2007
64	वन	लाख प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
65	वन	वन में लाख की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
66	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 2011-12 3. 2011.12 4. 2008-09
67	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
68	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन फार्म, राँची	राँची	2008-09
69	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09
70	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
71	उच्च शिक्षा	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयाविधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिरूपनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
	परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह सामेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अप्रयाप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मर्दे जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट - 4.1 क्रमशः

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी.बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी.बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी. ओ. आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नितिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर. ई.	राजस्व व्यय
आर. आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी. ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर